



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना अफजलगढ

दिनांक- 21.04.2024

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 120/24 धारा 380 भादवि में वांछित अभियुक्त को चोरी के सामान व नगदी सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.04.2024 को वादिनी श्रीमती रीता पाल पुत्री स्व0 डालचन्द निवासी ग्राम सीरवासुचन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तो द्वारा वादिनी के घर से आभूषण, नगदी व घरेलू सामान चोरी किया गया है । इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 120/24 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 120/24 धारा 380 भादवि में विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रकाश में आये अभियुक्त राहुल पुत्र संतराम निवासी ऋषिकुल विद्यापीठ थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड को चोरी गये सामान सहित गिरफ्तार किया गया । अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राहुल पुत्र संतराम निवासी ऋषिकुल विद्यापीठ थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

बरामदगी का विवरण –

1. 4900/- रुपये नगद ।
2. 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड ।
3. एक रैक्सीन पर्स, ताबीज, माला आदि ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 संदीप कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2-मुख्य आरक्षी प्रशांत कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3-मुख्य आरक्षी सचिन कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना धामपुर

दिनांक 21.04.2024

थाना धामपुर पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.04.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों 1.सलाउद्दीन पुत्र निसार अहमद निवासी इस्लामाबाद कॉलोनी बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2. अब्दुल्ला पुत्र निसार अहमद निवासी इस्लामाबाद कॉलोनी बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1.सलाउद्दीन पुत्र निसार अहमद निवासी इस्लामाबाद कॉलोनी बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.अब्दुल्ला पुत्र निसार अहमद निवासी इस्लामाबाद कॉलोनी बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.मुख्य आरक्षी 195 लालमन थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात

दिनांक 21.04.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.04.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अतीक पुत्र जमीर अहमद निवासी ग्राम रावलहेडी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अतीक पुत्र जमीर अहमद निवासी ग्राम रावलहेडी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 2.मुख्य आरक्षी 462 शैलेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 3.मुख्य आरक्षी 141 हरमीत सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 4.आरक्षी 1926 राहुल कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 21.04.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 304 / 24 धारा 2(ख)(1), 3(1) गैंगस्टर अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक, श्री सुशील कुमार, थाना कोतवाली शहर द्वारा अभियुक्तगण 1.शानू पुत्र बल्लू उर्फ बल्लन उर्फ मंसूर निवासी मौ0 जन्नत कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.गुलफाम उर्फ बल्लू पुत्र खलील नि0 मौ0 मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा आर्थिक एवं भौतिक लाभ कमाने के उद्देश्य से संगठित रूप से गिरोह बनाकर चोरी जैसे जघन्य अपराध करने, समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहने पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 304 / 24 धारा 2(ख)(1), 3(1) गैंगस्टर अधि0 पंजीकृत कराया गया।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं गैंगस्टर अधिनियम में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.04.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 304 / 24 धारा 2(ख)(1), 3(1) गैंगस्टर अधि0 के वांछित अभियुक्त शानू पुत्र बल्लू उर्फ बल्लन निवासी मौ0 जन्नत कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- शानू पुत्र बल्लू निवासी मौ0 जन्नत कॉलोनी थाना को0शहर जनपद बिजनौर। (एच0एस नं0-224ए)

आपराधिक इतिहास अभि0 शानू उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 811 / 2023 धारा 379 / 411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 816 / 2023 धारा 414 / 420 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 654 / 2022 धारा 379 / 411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 657 / 2022 धारा 411 / 413 / 414 / 420 / 465 / 34 भादवि को0शहर बिजनौर
5. मु0अ0सं0 543 / 2022 धारा 379 / 411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 503 / 2022 धारा 380 / 457 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर

7. मु0अ0स0 660 / 2022 धारा 4 / 25 आयुद्ध अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0स0 888 / 2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0स0 521 / 2023 धारा 308 / 323 / 506 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री मृदुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2- मुख्य आरक्षी 529 विवेक राणा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 21.04.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 332/24 धारा 505(2) भादवि व 66बी आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.04.2024 को वादी श्री अंशुल राजपूत निवासी करखा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त फैजान मलिक पुत्र शैफुल्ला नि0 ग्राम झलरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा सोशल मीडिया (व्हाट्सएप) पर आपत्तिजनक स्टेटस लगाया गया। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 332/24 धारा 505(2) भादवि व 66बी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.04.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 332/24 धारा 505(2) भादवि व 66बी आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त फैजान मलिक पुत्र शैफुल्ला निवासी ग्राम झलरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. फैजान मलिक पुत्र शैफुल्ला निवासी ग्राम झलरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

1. एक मोबाईल फोन एप्पल कम्पनी।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 487/2017 धारा 153ए, 295ए, 505(2) भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना को0शहर बिजनौर

2. मु0अ0सं0 383/2023 धारा 171जी, 385, 469, 504 भादवि थाना को0शहर बिजनौर

3.मु0अ0स0 323 / 2024 धारा 505(2) भादवि व 66बी आईटी एक्ट थाना को0शहर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2- मुख्य आरक्षी 850 नीरज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 3- मुख्य आरक्षी 402 धर्मवीर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना मंडावर

दिनांक- 21.04.2024

थाना मंडावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 141/24 धारा 452/376/506/34 भादवि के संबंध में ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.04.2024 को वादिनी ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि दिनांक 18.04.2024 को अभियुक्त तहजीब अहमद पुत्र तसलीम निवासी ग्राम बिचपडी थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने वादिनी के साथ उसके घर में गलत काम किया । इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 141/24 धारा 452/376/506/34 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंडावर पुलिस द्वारा पर मु0अ0सं0 141/24 धारा 452/376/506/34 भादवि से संबंधित अभियुक्त तहजीब अहमद पुत्र तसलीम निवासी ग्राम बिचपडी थाना मंडावर जनपद बिजनौर को पुलिस हिरासत में लिया गया है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त का नाम व पता –

तहजीब अहमद पुत्र तसलीम निवासी ग्राम बिचपुडी थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

पुलिस टीम का विवरण –

- 1- श्री रवि तोमर, थाना प्रभारी मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी विनित चौहान थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी रिकू रावल थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।